

आयुक्त/अधिकाारी, अधिकाारी,
नगर निगम/परिषद्/पालिका,
समस्त राजस्थान।

विषय:-नगरीय निकाय क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्यों अंतर्गत स्थानीय जनप्रतिनिधियों,
जनसेवकों एवं नागरिकों की सहभागिता के संबंध में।

संदर्भ:-विभागीय पत्रांक 5629-5868 दिनांक 22.05.2024, पत्रांक 7117-7391 दिनांक
29.05.2024 एवं पत्रांक 8169-8450 दिनांक 19.06.2024 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित विभागीय पत्रों के द्वारा वर्षाऋतु में सघन वृक्षारोपण
(मियावाकी पद्धति) के माध्यम से शहरी वन क्षेत्र विकसित कर वृक्षारोपण लक्ष्यों की पूर्ति हेतु
पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों के क्रम में लेख है कि निकाय स्तर पर वृक्षारोपण कार्यों अंतर्गत
स्थानीय जनप्रतिनिधियों, जनसेवकों एवं नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित करावें, जिससे
वृक्षारोपण अभियान के प्रति आमजन को जागरूक किया जा सके तथा व्यापक स्तर पर
जनभागीदारी के माध्यम से वृक्षारोपण अभियान को सफल बनाया जा सके।

(सुरेश कुमार ओला)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक: एफ.56(क)0सीई/डीएलबी/IRGY(U)/Plantation/2024-25/9372-9431

दिनांक: 03/07/2024

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. जिला कलक्टर, समस्त राजस्थान।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
6. सुरक्षित पत्रावली।

(अरूण व्यास)
परियोजना निदेशक (IRGY)

RajKaj Ref
8598301

Document certified by SURESH KUMAR
OLA <sureshola5788@gmail.com>.

Digitally Signed by Suresh
Kumar OLA
Designation: Director
Date :03-07-2024 06:41:10